

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S. B. Civil Second Appeal No. 7/2017

20.8.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी स्वयं उपस्थित।

प्रत्यर्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री डी के गर्ग।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या **27574/2018** बाबत् प्रकरण का निस्तारण किए जाने या प्रकरण को लोक अदालत या मध्यस्थता अदालत में भेजे जाने के क्रम में सुना गया।

आज उपस्थित अपीलार्थी दीनदयाल द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्ष 1993 में प्रतिवादी द्वारा ली गई राशि के क्रम में विद्वान विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जो वादीगण के पक्ष में डिक्री हो चुका है, लेकिन अभी तक अपीलार्थी/प्रतिवादी ने उक्त राशि अदा नहीं की है। उनका यह भी कथन रहा कि पूर्व में भी अपीलार्थी द्वारा किए गये निवेदन की रोशनी में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा अपीलार्थी को डिक्री राशि एवं ब्याज जमा कराने हेतु समय प्रदान किया गया था, किन्तु अभी तक अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की गई है। अतः वे मामले को मध्यस्थता केन्द्र को प्रेषित किए जाने हेतु सहमत नहीं है तथा अपील के गुणावगुण पर

बहस करना चाहते हैं।

सुना गया एवं विचार किया गया।

चूंकि विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा मामले को मध्यस्थता केन्द्र को प्रेषित किए जाने के क्रम में सहमति प्रदान नहीं की गई है। अतः इस प्रकरण को मध्यस्थता केन्द्र को प्रेषित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि दोनों पक्ष आगामी तारीख पेशी पर प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करें।

प्रकरण दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति